133

COURT FEE ₹10 TEN RUPEES भारत INDIA ₹5 FIVE RUPEES

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2013 निगरानी R 3545 III/13

बाबूलाल पुत्र रंधीरा निवासी ग्राम सिरसौद तह. कोलारस तह. करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

—— आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 23/09/13 को प्रस्तुत
23-9-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. जहार सिंह
2. इमरत
3. बारेलाल

पुत्रगण दीना लोधी

निवासीगण ग्राम सिरसौद तह. करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

—— आवेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. करैरा जिला शिवपुरी के प्र.क. 32/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2013 के बिरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

मान्यवर,

23.9.13

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एव क्षेत्राधिकार बाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से उक्त आज्ञायें अपास्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, शासकीय भूमि ग्राम सिरसौद तह. करैरा जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे क. 5040 रकवा 0.56 है., 5043 रकवा 0.014 है. कुल किता 2 कुल रकवा 0.70 है. का भूमि बंटन हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र तहसीलदार करैरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आदवेदन पत्र पर से प्रकरण क. 22/अ–19/96–97 पर पंजीवद्ध किया जाकर विधिवत् उद्योषणा जारी की गई। आपत्तियॉ बुलाई गई। ग्राम पंचायत से राय ली गई। ग्राम पंचायत द्वारा लिखित सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। पटवारी हल्का से रिपोर्ट चाही गई। पटवारी हल्का द्वारा स्थल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा पटवारी कथन लिपिवद्ध किये गये। स्वतंत्र साक्ष्य ली गई एवं आवेदक स्वयं के कथन कराये जाकर विधिवत नियमों का पालन करते हुये आवेदक के हित में दिनांक 05.01.1997 से भूमि बंटन के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश को अनावेदकगण द्वारा अनु.वि.अधि. करैरा के समक्ष अपील प्र.क. 32/11–12 से पर दर्ज की जाकर आवेदक को किये गये भूमि बंटन आदेश को चुनौती दी गई। है और अवधि के संबंध में धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया है। और ना ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया है फिर भी अपीलीय न्यायालय ने बिना अविधि विधान की धारा 5 के आवेदन के निराकरण किये अपील को गुण दोष के आधार पर आदेश पारित किया है। ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./3545/तीन/2013 जिला- शिवपुरी

बाबूलाल विरूध जहार सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-32/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19/08/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/5/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	